भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1790

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2025 को दिया जाना है

बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कोयला आपूर्ति और संभार-तंत्र

1790. श्री बाबू राम निषादः

श्रीमती धर्मशीला गुप्ताः

श्री नरहरी अमीनः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विद्युत क्षेत्र के लिए 906 मिलियन टन कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई विस्तृत कार्यनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चरम ग्रीष्मकालीन महीनों के दौरान संभावित कोयला कमी को दूर करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या अप्रत्याशित मांग वृद्धि के लिए कोई आकस्मिक योजना मौजूद है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : देश में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार का ध्यान देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर है। देश में वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है। वर्ष 2023-2024 में अखिल भारतीय घरेलू कोयला उत्पादन वर्ष 2022-2023 में 893.191 मि.ट. की तुलना में लगभग 11.71% बढ़कर 997.826 मि.ट. था।

चालू वर्ष 2024-25 में, देश में कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष 2023-24 की तदनुरूपी अवधि में 881.16 मि.ट. की तुलना में (फरवरी, 2025 तक) 5.45% की वृद्धि दर के साथ 929.15 मि.ट. (अनंतिम) हुआ है।

विद्युत मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 906.1 मिलियन टन (मि.ट.) की अपनी घरेलू कोयला आवश्यकता को सूचित किया, जिसके लिए कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत क्षेत्र को 906.1 मिलियन टन (मि.ट.) की घरेलू कोयला आपूर्ति योजना से अवगत कराया है।

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार 10.03.2025 को पिछले वर्ष 2023-24 के तदनुरूपी तारीख को 44.51 मि.ट. की तुलना में 20.20% वृद्धि दर के साथ 53.49 मिलियन टन (मि.ट.) रहा है। वर्तमान कोयला स्टॉक 85% प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर लगभग 20 दिनों के लिए पर्याप्त है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करना एक सतत प्रक्रिया है। कोयला कंपनियों तथा विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों के एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह द्वारा भी कोयले की आपूर्ति की निरंतर निगरानी की जाती है जो ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने हेतु नियमित रूप से बैठक करते हैं।

इसके अलावा, कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की निगरानी करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का भी गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड; सचिव, कोयला मंत्रालय; सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं। सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अध्यक्ष, सीईए को आईएमसी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विशेष आमंत्रित के रूप में सहयोजित किया जाता है।
